आता है। इसमें किसी के लिये कोई रुकावट नहीं है। इस दृष्टि से जहां तक उनका यह कहना है कि जो वेज बोर्ड लागू होता है, उस वेज बोर्ड को लागू करने के साथ ही जो वेतनमान और अन्य बातें निश्चित की जाती हैं, उसमें रेम्यूनरेशन मिलना चाहिये, मेहनताना मिलना चाहिये, उस मेहनताने में कोताही होती है, यदि इस प्रकार की कोताही करने की शिकायत या अन्य कोई बात सामने आती है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी।

श्री कैलाश जोशी: सभापति महोदय, मंत्री जो ने जो सूची दी है, वह सूची, जहां फुली इम्पलिमेंट हो गये हैं, जहां पर्शियली हुये हैं और जहां इम्पलिमेंट ही नहीं हुए हैं, की है। मैं उस पूरी सूची में न जाते हुये माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार में 144 में से 133 अभी तक पेंडिंग हैं, कर्नाटक में 140 में से 125 पेंडिंग हैं, वेस्ट बंगाल में 420 में से 405 अभी तक पेंडिंग हैं। यह पेंडेंसी जो इतनी बड़ी संख्या में है क्या उसके लिये केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को लिखित निर्देश देकर विशेष कार्रवाई करने के प्रयास किये जा रहे हैं?

डा. सत्य नारायण जटिया: माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की उससे कोई भी असम्मत नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारों को जब यह दायित्व दिया जाएगा तो उन्हें क्रियान्वित करने का काम भी उन प्रदेशों को करना पड़ेगा।

श्री कैलाश जोशी: वह नहीं कर रहे हैं तो?

श्री टी. एन. चतुर्वेदी: वह नहीं कर रहे हैं इस की वजह से ही यह प्रश्न खड़ा हो रहा है। हम लोगों का पूछना है कि इसके लिये आप क्या करेंगे? यह इतना महत्वपूर्ण डेमोक्रेसी का हिस्सा है और वे अपनी मांगें और कठिनाईयां हमारे सामने लाते हैं। अगर उनकी कोई कठिनाई है तो उनकी तरफ हम लोगों को ध्यान देना चाहिये। कुलदीप नायर जी ने जो कहा अगर ऐसा होता है तो हम समझते हैं कि यह बहुत गलत चीज है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Regular Promotions to the Grade-I of CSS

*461. SHRI BRATIN SENGUPTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been no regluar promotions to the

Grade-I of CSS since 1987;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the steps taken to issue select list for the year 1987 and onwards; and

(d) in the absence of the select list of Grade-I of CSS (Feeder Grade) the basis on which promotions to the selection grade of CSS were made in 1999?

THE MINISTER OF STATE OF DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING AND DEPARTMENT OF PENSIONS AND PENSIONERS' WELFARE OF THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): (a) to (c) the eligibility list of officers for preparing the select list of Grade I (Under Secretary level) of CSS for the year 1987 was set aside by the Central Administrative Tribunal (CAT) by its order dated 31.8.1988 in the case of Shri Amrit Lal & others. The *inter-se* seniority of Section Officers reflected in the eligibility list remained under protracted litigation in the CAT/Supreme Court between the period 1988 to 1997.

Pursuant to the Supreme Court's order dated 9.5.1997 in Special Leave Petition (SLP) filed by Shri Surjit Singh & others, the Common Seniority List of Section Officers was issued on 3.12.1997. Based on that list, steps have been taken to prepare the select lists for the years 1987 and 1988. The Union Public Service Commission have since held meetings of the Departmental Promotion Committee (DPC) for the said select lists during the last week of March, 2000. On receipt of the recommendations of the DPC, further action to issue the select lists will be taken. The select lists for the years 1989 and 1990 are under pocess.

(d) In-situ upgradation to the Selection Grade (Deputy Secretary level) of CSS were made in 1999 for 191 officers on the basis of the Common Seniority List of Section Officers issued on 3.12.1997 in pursuance of the Supreme Court's order referred to above.

Of the officers given in-situ upgradation to the Selection Grade (Deputy Secretary level), 10 officers have been adjusted against regular vacancies of Deputy Secretary on an ad-hoc basis during the year 1999, by following the procedure under the Central Staffing Scheme.